

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवेबोर्ड (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 46 of 2020

Ref: Office Order No . 39& 45 of 2020

**Sub:- Contact tracing-Format for providing details of Official tested
COVID positive and those to be Quarantined.**

In partial modification to Office order No. 39 and 45 of 2020 regarding list of Officials who have come in contact with COVID-19 Officials in Board's Office, it has now been decided to indicate complete residential address including PIN Code of the Official found COVID Positive and of all those who came in direct contact and are to be send on quarantine in the format enclosed.

E.No. 2020/O&M/9/1
Dated:-17.06.2020



(B Majumdar)

Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, at Metro Station Building,
Pragati Maidan & Dayabasti, New Delhi

ANNEXURE-I

Format for sending the list of Officials requiring self isolation (home quarantine) on account of having coming in contact with COVID-19 positive official while working in Board's Office.

Name of Official whose test report is COVID Positive:

Date of Test Report:

Last Attended Office on:

Room No , CUG/Mobile No. of Official
& complete residential address with PIN Code
of Employee tested COVID Positive:

List of Officials requiring Home Quarantine:

S.No.	Name of Official	Designation	R.No.	Contact No. CUG /any other mobile number	Residential Address with PIN code	Remarks (why requiring quarantine)

The above has the approval of _____ (ED/JS or AM/PED)

The list be approved by concerned ED/JS (for officials below SAG level or by AM/PED in case official requiring home quarantine is of the level of SAG and above.

The list be emailed at vibhuti.singh@gov.in and be addressed to Joint Secretary/Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / (RAILWAY BOARD)

2020 का कार्यालय आदेश सं.46

संदर्भ: 2020 के कार्यालय आदेश सं.39 और 45

विषय: कोविड पॉज़िटिव पाए गए और क्वारंटीन किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संबंधी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर्मेट।

बोर्ड कार्यालय में कोविड-19 अधिकारियों/कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची के बारे में 2020 के कार्यालय आदेश सं.39 और 45 में आंशिक आशोधन करते हुए, अब यह विनिश्चय किया गया है कि संलग्न फॉर्मेट में कोविड पॉज़िटिव पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों और इनके सीधे संपर्क में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के घर का पूरा पता दिया जाए और पिन कोड भी लिखा जाए।

ई. सं.2020/ओ एंड एम/9/1
दिनांक: 17.06.2020

जी. मजुमदार
(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, मेट्रो भवन, प्रगति मैदान और दयाबस्ती नई दिल्ली के सभी अधिकारी और कर्मचारी।

अनुबंध-1

बोर्ड कार्यालय में कार्य के दौरान कोविड-19 पॉज़िटिव पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के संपर्क में आने के कारण स्व एकांतवास (होम क्वारंटीन) भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची देने संबंधी फॉर्मेट।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट कोविड पॉज़िटिव है:

टेस्ट रिपोर्ट की तारीख:

पिछली बार किस तारीख को कार्यालय आए थे:

अधिकारी/कर्मचारी का कमरा नं., सीयूजी/मोबाइल नं. और घर का पूरा पता और पिन कोड, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट कोविड पॉज़िटिव है:

होम क्वारंटीन भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची:

क्र.सं	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कमरा नं.	सीयूजी मोबाइल नं. या अन्य कोई मोबाइल नं.	घर का पूरा पता और पिन कोड	टिप्पणी (क्वारंटीन क्यों करना है)

इसे _____ (कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव या अपर सदस्य/ प्रधान कार्यपालक निदेशक) का अनुमोदन प्राप्त है।

होम क्वारंटीन के लिए इस सूची को एसएजी से निचले स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाए या एसएजी से ऊपर के स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु अपर सदस्य/ प्रधान कार्यपालक निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए।

इस सूची को संयुक्त सचिव/ रेलवे बोर्ड को संबोधित किया जाए और vlbhuti.singh@gov.in पर ईमेल किया जाए।